UPSK010000352026

न्यायालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संत कबीर नगर।

पीठासीन अधिकारी-रणधीर सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा) (J.O. Code-UP05761)

दाण्डिक अपील संख्या-04/2026

1. सन्तोष चतुर्वेदी उम्र करीब 25 साल पुत्र रणजीत चतुर्वेदी, साकिन भिटहा, थाना महुली, जिला- संतकबीरनगर।

..........अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राज्य उ०प्र०
2. बलराम यादव उम्र 48 साल पुत्र रामदौड़ यादव, साकिन तामाखास, थाना खलीलाबाद, जिला- संतकबीरनगर।

..........रेस्पान्डेन्ट/विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष चतुर्वेदी द्वारा विद्वान सिविल जज (सी०डि०)एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०, संत कबीर नगर, द्वारा परिवाद संख्या-16836/2021, बलराम यादव बनाम सन्तोष चतुर्वेदी, धारा-138 एन०आई० एक्ट, थाना महुली, जिला संत कबीर नगर में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 12.12.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष चतुर्वेदी को धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध हेतु **एक वर्ष का साधारण कारावास तथा मु० 80,10,000 (अस्सी लाख दस हजार) रूपये** के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा, से दण्डित किया है, जिससे विक्षुब्ध होकर यह अपील योजित की गयी है।

2. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय परवर्स फाइन्डिंग पर आधारित है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त निर्णय पारित करते समय एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह तथ्यों एवं सबूतों पर विचार नही किया और मनमाना निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस बिन्दु पर सम्यक विचार नही किया कि क्या उक्त चेक अनादरित हुआ है। बैंक के रिटर्न मेमो में चेक को रिटर्न करने का कारण यह लिखा है कि हस्ताक्षर मेल नही खाता है ऐसे चेक जिसमें हस्ताक्षर मेल न खाने की वजह से चेक वापस किया गया हो वहां पर 138 एन.आई. एक्ट केस नही बनता है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस बिन्दु पर विचार नही किया कि दिनांक 12.12.25 को प्रार्थी के विरूद्ध एन.आई. एक्ट के कुल 5 मामलों पर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो क्रमशः केस नं० 14830/21, केस नं० 14833/21, केस नं० 16836/21, केस नं० 14969/21, केस नं० 14966/21 है और पांचों केस में एक ही सीरिज के चेक है एक ही

बैंक के हैं और पांचो मामलों में प्रार्थी के हस्ताक्षर चेक के हस्ताक्षर से मेल न खाने का रिटर्न मेमो प्रस्तुत किया गया है और सारे मामले बालू से सम्बन्धित है ऐसे में प्रार्थी के इस कथन को कि उसके चेक राकेश चतुर्वेदी द्वारा लूटे गये थे, जिसकी प्रार्थी ने एफ.आई.आर. दर्ज किया था, गाड़ी को रिलीज कराया था और सारे चेक प्रार्थी के साथ लूट की घटना के बाद ही बैंक में प्रस्तुत हुए है और सारे चेकों के हस्ताक्षर मेल नही खाते हैं ऐसे में प्रार्थी के इस सम्भाव्य कथन को इग्नोर कर विद्वान मजिस्ट्रेट ने गलती किया है यदि उक्त सबूतों पर प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह विचार करते तो मामले में यह निर्णय ऐसा नही होता। प्रार्थी द्वारा अवर न्यायालय में चेक के प्रीमैच्योर होने के कथन का उठाया गया जिस पर मजिस्ट्रेट ने यह फाइन्डिंग लिखा है परिवाद नोटिस भेजे जाने के 16 वे दिन दाखिल किया गया है, जबकि एन.आई. एक्ट में यह प्राविधान है कि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन बाद काज आफ एक्सन एराइज होता है। इससे ही स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट का निर्णय त्रुटिपूर्ण, मनमाना व अविधिक है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने जो विधि व्यवस्था 2007 ए आई आर एस.सी.डब्लू. 3578 को उघृत किया है उसमें भी यही लिखा है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर भुगतान किया जाना है न कि नोटिस भेजने के 15 दिन के अन्दर की बात लिखा है। उक्त मामले में बलराम द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी मेरे यहां 9000/–रूपये की नौकरी करता था, इससे ही यह बात स्पष्ट हो जा रहा है कि उसी नौकरी के दौरान विवाद की वजह से यह झूठा केस गढ़ा गया है। यही यह भी विचारणीय है कि राकेश चतुर्वेदी एक स्कूल माफिया, बालू माफिया व्यक्ति है और विपक्षी सं० 2 व अन्य 5 लोग उसी के लोग हैं, जो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किये हैं। विद्वान मजिस्ट्रेट ने लूट की घटना को यह कहते हुए गलत मान लिया है कि उक्त मामले में पुलिस ने लूट में चार्जशीट नही प्रस्तुत किया परन्तु इस परिस्थिति पर विचार नही किया कि पुलिस की चार्जशीट अन्तिम नही होती है मामला न्यायालय में सबज्यूडिस है और न्यायालय से ही उक्त क्राइम नम्बर में गाड़ी रिलीज करायी गयी है। यदि गाड़ी बन्द न होती तो रिलीज कैसे होती। विद्वान मजिस्ट्रेट का निर्णय हस्ताक्षर नमूना के बावत भी परवर्स एवं मनमाना है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में यह लिखा है कि प्रार्थी के खाते में भुगतान रोके जाने या चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत होने की तिथि को खाते में पर्याप्त निधि नही थी, ज्ञातव्य हो कि जब प्रार्थी द्वारा स्वयं यह कहा जा रहा हो कि उसके चेक बुक को लूटा गया है तो ऐसे में यह विनिश्चय का बिन्दु बेइमानी हो जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने मनमाने विनिश्चय के बिन्दुओं की स्वयं रचना किया और मनमाना व परवर्स विनिश्चय दिया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व कथनों को दृष्टिगत करते हुए विनिश्चय के बिन्दुओं को नही उठाया अन्यथा इस मामले में विनिश्चय का बिन्दु यह भी बनता कि क्या समस्त चेक लूट में गाड़ी से निकाले गये हैं? क्या हस्ताक्षर का बैंक न मिलना अनादरण का मामला बनता है? क्या समस्त एक ही सीरीज के 5 चेक लूट की घटना के बाद ही क्यो प्रस्तुत हुए। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय दण्डादेश एवं जुर्माना पूरी तरह से मनमाना व गलत निष्कर्ष पर आधारित है और निरस्त होने योग्य है।

3. प्रस्तुत मामले में परिवादी/रेस्पान्डेन्ट बलराम यादव द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के

समक्ष अपीलार्थी सन्तोष चतुर्वेदी के विरुद्ध इन कथनों के साथ परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा–138 एन०आई० एक्ट में प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ग्राम–तामाखास, थाना खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर का निवासी है। प्रार्थी के नाम तहसील धनघटा में स्थित बालू के भण्डारण की अनुज्ञप्ति 2017 से है। वर्ष 2017 में ग्राम भिटहां थाना महुली निवासी सन्तोष चतुर्वेदी पुत्र रणजीत चतुर्वेदी आये और कहे कि वह बेरोजगार व्यक्ति है, आय का कोई स्रोत नहीं है, परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया मुझे काम पर रख लीजिए आपका काम देखता रहूँगा। प्रार्थी विपक्षी की दयनीय दशा देखकर बालू खदान में संविदा पर विपक्षी को मैनेजर/कैसियर पद पर 9,000/– रु० प्रति माह वेतन की दर से काम करने के लिए रख लिया तथा बालू खरीदने व बेचने का हिसाब रखने का काम सौंप दिया। विपक्षी कुछ दिन तक काम ठीक से करता रहा फिर वह मेरे बालू घाट पर बालू को प्रार्थी की जानकारी के बिना चोरी–चोरी बेचने लगा जिससे प्राथी का काफी नुकसान होने लगा। प्रार्थी ने विपक्षी से बालू खरीदने व बेचने का हिसाब किया तो विपक्षी लगभग 78,00000/–रु० का हिसाब नही दे पाया, प्रार्थी ने दबाव बनाया तो विपक्षी ने कबूल किया कि यह पैसा मैंने अपने खरीदने, घर बनवाने, महिन्द्राXUV300 चार पहिया वाहन व मोटर साइकिल में खर्च कर दिया है तत्काल मैं पूरा पैसा देने में असमर्थ हूँ। परन्तु मेरे शाखा सहजनवा बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के खाता सख्या–60188690058 में पैसा है जिसके लिए मैं आपको अभी तत्काल में आज दिनाक 11.08.2021 को आप(प्रार्थी) के नाम चेक संख्या–028036 धनराशि मु० 67,00000/–रू० का चेक दे रहा हूँ मेरे खाते से पैसा निकाल लीजिए शेष धनराशि दो माह के अन्दर दे दूँगा। प्रार्थी ने दिनाक 08.11.2021 को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा खलीलाबाद में चेक प्रस्तुत किया, परन्तु विपक्षी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण व विपक्षी का हस्ताक्षर मैच ना होने के कारण विपक्षी द्वारा प्रदान किया गया चेक बाउन्स हो गया। प्रार्थी ने इस बावत विपक्षी को सूचना दिया और पैसे की मांग की परन्तु विपक्षी आज–कल कहकर टालता रहा, प्रार्थी दिनाक 01.12.2021 को अपना पैसा लेने के लिए विपक्षी के घर ग्राम भिटहा गया तो विपक्षी प्रार्थी को गन्दी गन्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा और मार पीट पर उतारू हो गया, शोर सुनकर तमाम लोग मौके पर जुटे, आशीष चौरसिया व दयानन्द श्रीवास्तव आदि के बीच बचाव करने पर प्राथी की जान बची। विपक्षी के प्राथी का सारा पैसा छलकपट बेइमानी करके हड़प लिया। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 04.12 2021 को विपक्षी को चेक बाउन्स होने के सम्बन्ध में, रूपया वसूल करने के सम्बन्ध में कानूनी नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया परन्तु विपक्षी द्वारा आज तक न तो नोटिस का जवाब दिया गया, न ही प्रार्थी का पैसा वापस किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिनांक 10.11.2022 को अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष चतुर्वेदी को अन्तर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट में विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया तथा अपनी

जमानत करायी।

5. मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2023 को निरस्त किया गया तथा पत्रावली वास्ते बयान मुल्जिम/आरोप नियत की गयी। न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2023 को अभियुक्त सन्तोष चतुर्वेदी के विरुद्ध धारा– 138 एन.आई. एक्ट के तहत के बयान मुल्जिम/आरोप विरचित किये गये, लगाये गये आरोपों से अभियुक्त ने इन्कार किया व विचारण किये जाने की याचना की।

6. मामले में परिवादी द्वारा स्वयं को पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया। साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया तथा अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में डी०डब्लू० 1 के रूप में स्वयं को तथा डी०डब्लू० 2 गौरव सिंह (ब्रांच मैनेजर) को परीक्षित कराया गया है। पक्षकारों की बहस सुनकर दिनांक 12.12.2025 को प्रश्नगत निर्णय/आदेश पारित करते हुए अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी को धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध हेतु **एक वर्ष का साधारण कारावास तथा मु० 80,10,000 (अस्सी लाख दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड** एवं अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को **छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा**, से दण्डित किया गया है। इसी निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।

7. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी से लूटे गये चेक संख्या–028036, मु० 67,00000/–(सड़सठ लाख रूपये) दिनांकित 11.08.2021 को भुगतान हेतु परिवादी ने दिनांक 08.11.2021 को अपने बैंक आफ इंडिया शाखा खलीलाबाद में भुगतान हेतु दाखिल किया गया परन्तु बैंक द्वारा Drawers signature illegible का अंकन करते हुए बिना भुगतान किये परिवादी को दिनांक 09.11.2021 को रिटर्न मेमो के साथ चेक वापस कर दिया गया। परिवादी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को दिनांक 04.12.2021 को लीगल नोटिस तैयार कर दिनांक 07.12.2021 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया। परिवादी द्वारा न्यायालय में दिनांक 22.12.2021 को परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट दाखिल की गयी। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी, राकेश चतुर्वेदी के बालू खनन में 9,000/– रूपये की नौकरी करता था। बरसात का मौसम आने के कारण सरकार द्वारा बालू खदान पर राकेश चतुर्वेदी के सहयोगी बलराम यादव के विरुद्ध करोड़ो रूपये का जुर्माना लगाये जाने के कारण राकेश चतुर्वेदी अपीलार्थी से नाराज हो गये। दिनांक 17.08.2021 को दिन में करीब 04 बजे राकेश चतुर्वेदी व दो अन्य अपने हाथ में बंदूक लेकर उसके घर पर आये और गाली देकर मार पीटकर अपीलार्थी के पिता के नाम की कार UP58 Z 2603 XUV और अपीलार्थी के नाम की मोटर साइकिल अपाची UP58LY6018 जबरदस्ती लेकर चले गये, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा थाने पर मु०अ०सं०–291/2021 दर्ज कराया। लूटे गये कार में अपीलार्थी/अभियुक्त का चेक भी था। कार में रखी चेकबुक का दुरुपयोग कर राकेश चतुर्वेदी ने अपने मेली मददगारों/कर्मचारियों के

नाम चेक पर मनमाना रकम भरकर बैंक से चेक बाउंस कराकर अपीलार्थी के विरुद्ध झूठा मुकदमा अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट में दर्ज करा दिया। उक्त चेक पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। अपीलार्थी 9,000/– रूपये की नौकरी करता था वह 67,00,000/– रूपये का गबन कैसे कर सकता है, जो अविश्वसनीय है। अपीलार्थी द्वारा उक्त वाहन को न्यायालय से रिलीज करा लिया है। एफ०एस०एल की रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं को सफाई साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

8. परिवादी/रेस्पान्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा जो एफ०आई०आर० चेक लूट के संबंध में किया गया, वह गलत पाया गया। उक्त एफ०आई०आर० में परिवादी मुल्जिम नहीं है। परिवादी द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को नोटिस भेजे जाने के 15 दिन में पैसा जमा करके अपीलार्थी अपना मुकदमा समाप्त करा सकता था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था C.C. Alavi Haji Vs Palapetty Muhammed & anr 2007 AIR SCW 3578 एवं Ravi Dixit Vs State of Up And another AIR Online 2020 All. 2088 का जिक्र किया गया है। परिवादी द्वारा अ नोटिस भेजे जाने के 15 दिन के बाद परिवाद दाखिल किया गया है। इस आधार पर अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

9. मैंने अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा परिवादी/रेस्पान्डेन्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अपीलीय पत्रावली एवं मूल तलबीदा पत्रावली का अवलोकन किया।

10. यहां पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी को धारा–138 एन०आई०एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित किया है।

11. मामले में अभियुक्त/अपीलार्थी संतोष चतुर्वेदी द्वारा जी. पंकजक्षी अम्मा व अन्य बनाम मथाई मैथ्यू (2004) एससीसी 83, लिलीकुट्टी बनाम लारेंस, आई(2004) बीसी130, 2003 (3) केएलटी 721, एम.डी. थामस बनाम पी.एस. जलील व अन्य क्रिमिनल अपील नं०–711/2019, एस. एल. पी.(क्रिमि०) नं०–7828/2007, सुमन सेठी बनाम अजय के. चूड़ीवाल व अन्य 2000 एससीसी आनलाइन एससी 313, बसालिंगप्पा बनाम मुदीबसप्पा 2019 एससीसी आनलाइन एससी 491, कुमार एक्सपोर्ट बनाम शर्मा कारपेटस (2009) 2 एससीसी 513, कावेरी प्लास्टिक बनाम महदूम बावा बहरुद्दीन नूरूल 2025 (133) एसीसी 955 (सुप्रीम कोर्ट), कमलकिशोर श्रीगोपाल टपारिया बनाम इण्डिया इनर–जेन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य 2025(आई) SCCrJ 736, उपासना मिश्रा बनाम ट्रेक टेक्नोलाजी प्रा० लि० एसएलपी (क्रिमि०) नं०–9062/2023, शक्ति ट्रैवेल एण्ड टूर्स बनाम स्टेट आफ बिहार व अन्य (2002) 9 एसीसी 415, विजय कुमार मिश्रा बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य (2020) (113) एसीसी 368, कृष्णा जनार्दन भट्ट बनाम दत्तात्रया जी. हेगडे 2008 (60)

एसीसी 665 (सुप्रीम कोर्ट), दत्तात्रया बनाम शारानाप्पा 2024 एससीसी आनलाइन एससी 1899, एन. विजय कुमार बनाम विश्वनाथ राव 2025 एससीसी आनलाइन एससी 873 में प्रतिपादित विधि व्यवस्था की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

12. अभियुक्त अपीलार्थी संतोष चतुर्वेदी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर करते हुए वर्णित किया गया है कि विवादित चेक किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देनदारी के निर्वाहन हेतु जारी नही किया गया था। इस बिन्दु पर अपीलार्थी का कथन है कि अभियुक्त ने चेक किसी ऋण अथवा देनदारी के निर्वाहन हेतु नही दिया गया अपितु दबाव एवं मारपीट कर लूटा गया है। उक्त मारपीट की घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट बैंक में चेक प्रस्तुत करने से पूर्व दर्ज करायी गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि कथित चेक अभियुक्त से मारपीट दबाव या अन्य अनुचित तरीकों से प्राप्त किया गया है। वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त द्वारा कोई धन लिया गया हो। इस प्रकार यह साबित नही है कि चेक किन परिस्थितियों में प्राप्त किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी है कि जब इतनी बड़ी धनराशि अभियुक्त वापस नही कर रहा था तो उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही क्यों नही की गयी। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्धि हेतु यह अनिवार्य है कि विवादित चेक किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देनदारी के निर्वाहन हेतु जारी किया गया हो। यदि ऐसी देनदारी संदेहास्पद है तो चेक का अनादरण मात्र अभियोजन पक्ष के लिए पर्याप्त नही है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह तथ्य है कि धारा 118 एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम विधिक उपधारणा परिवादी के पक्ष में होती है। देनदारी हेतु चेक जारी किया गया है किन्तु यह उपधारणा खण्डनीय है तथा न्यायालय को यह परीक्षण करना होता है कि क्या वादी यह साबित कर सका है कि वैध या परिवर्तनीय देनदारी अस्तित्व में थी। प्रस्तुत मामले में रूपये 67,00,000/– का चेक क्यों दिया गया। इस तथ्य के समर्थन में कोई विश्वसनीय अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, न ही अभियुक्त द्वारा कोई स्वीकारोक्ति या समझौता पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। मात्र मौखिक कथन के आधार पर इतनी बड़ी देनदारी स्वीकार करना विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने वादी को कोई चेक स्वेच्छा से नही दिया है और न ही देनदारी स्वीकार की है। उसके चेक बुक जबरन छीन कर उसका दुरूपयोग किया गया, जिसकी पुष्टि अभियुक्त द्वारा पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से होती है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चेक के अनादरण का कारण हस्ताक्षर का मेल न खाना है जिससे यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि अभियुक्त द्वारा चेक जारी नही किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस तामील न होना उसके दावे को संदेहयुक्त बनाता है। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार जब तक लेखा संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जाता है तो देनदारी को विधिक रूप से स्थापित नही

माना जा सकता है। धारा 24 भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार यदि करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरूद्ध हो तो उसे शून्य माना जाता है। प्रस्तुत मामले में कथित गबन के आरोप में चेक का विवाद भी उसी श्रेणी का है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जी. पंकजक्षी अम्मा व अन्य बनाम मथाई मैथ्यू (2004) एससीसी 83 में यह अवधारित किया गया है कि यदि लेन देन अवैध अप्रमाणित अथवा बिना लेखा जोखा को हो तो न्यायालय ऐसे दावे को प्रवर्तनीय नही मान सकता। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि यदि लेन देन अनअकाउन्टेड या अवैध है तो न्यायालय किसी पक्ष की सहायता नही करेगा। प्रस्तुत मामला भी इसी प्रकृति का है।

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रस्तुत मामले में चेक का निर्गमन स्वतंत्र इच्छा का परिणाम नही है। इस प्रकार भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिलीकुट्टी बनाम लारेंस, आई(2004) बीसी 130, 2003 (3) केएलटी 721 के मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत उत्पन्न प्रत्याभूति तभी लागू होती है जब चेक किसी विधिसम्मत एवं प्रवर्तनीय देनदारी हेतु जारी किया गया हो। यदि चेक किसी अवैध या अनैतिक उद्देश्य हेतु जारी किया गया हो तो उक्त वैधानिक प्रत्याभूति लागू नही होती। आपराधिक दायित्व का विस्तार इस प्रकार नही किया जाना चाहिए कि वह अवैध या शून्य दायित्वों को भी प्रवर्तनीय बना दे। ऐसा करना न्याय व्यवस्था एवं वित्तीय प्रणाली को क्षति पहुंचायेगा।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.पी.सी. नायडू बनाम जगन्नाथ, 27 अक्टूबर, 1993 के मामले मे यह मत व्यक्त किया गया है कि कोई भी दावा जो धोखाधड़ी या कपटपूर्ण हो, न्यायालय के स्वीकृति का पात्र नही हो सकता।

अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम विधिक रूप से पोषणीय नही है, क्योंकि वादी द्वारा विधिक नोटिस की वैधता, उसकी तामीली तथा 15 दिवस की अनिवार्य अवधि के पालन को सिद्ध नही किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी द्वारा प्रेषित नोटिस में यह तथ्य स्पष्ट नही है कि कितने रूपये के देनदारी हेतु चेक जारी किया गया था। जबकि विधिक प्रावधान के अनुसार चेक का अनादरण, विधिक नोटिस का विधिवत प्रेषण अथवा तामीली तथा नोटिस प्राप्ति के पश्चात 15 दिनों में भुगतान न करने की दशा में ही परिवाद पोषणीय हो सकता है। नोटिस अभियुक्त के विरूद्ध तामील होने का कोई प्रमाण नही है तथा नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात 15 दिनों की अनिवार्य वैधानिक अवधि की प्रतीक्षा किये बिना परिवाद दायर कर दिया गया है। फलस्वरूप धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत अपराध गठित नही होता है तथा परिवाद पूर्वकालिक हो जाता है।

विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा उल्लिखित सी.सी. एल्वी हाजी बनाम पालापेट्टी मोहम्मद व अन्य 2007 AIR SCW 3578 में जहाँ यह अवधारित किया गया है कि यदि वादी ने अभियुक्त के सही पते पर नोटिस भेजी किन्तु अभियुक्त को नोटिस प्राप्त

नही हुई तो परिवाद निरस्त नही किया जायेगा किन्तु इसी निर्णय के प्रस्तर 9 में यह भी मत व्यक्त किया गया है कि वादी को यह भी साबित करना होगा कि अभियुक्त जानबूझकर नोटिस लेने से बच रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.डी. थामस बनाम पी.एस. जलील व अन्य क्रिमिनल अपील नं०–711/2019, एस. एल. पी.(क्रिमि०) नं०–7828/2007 में यह अवधारित किया है कि नोटिस विधिवत तामीली साबित करना वादी का दायित्व है। प्रस्तुत मामले में नोटिस तामील साबित होना नही है, न ही स्पष्ट है कि किस दिनांक को प्रेषित की गयी है। जबकि चेक लूटे जाने की प्राथमिकी पूर्व से दर्ज है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पास नोटिस से बचने का कोई वैध कारण नही होगा। ऐसी परिस्थितियों में धारा 27 जनरल क्लाजेज एक्ट का लाभ वादी को नही दिया जा सकता है, क्योंकि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुमन सेठी बनाम अजय के. चूड़ीवाल व अन्य 2000 एससीसी आनलाइन एससी 313 के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि यदि नोटिस में चेक राशि के अतिरिक्त अन्य मदो को शामिल कर समग्र मांग की जाती है तो ऐसी नोटिस विधि सम्मत नही मानी जाती है। प्रस्तुत मामले में नोटिस में मांग की गयी धनराशि, चेक धनराशि से भिन्न है।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 118 व 139 के अन्तर्गत उत्पन्न विधिक उपधारणा को अभियुक्त द्वारा तथ्यों एवं विधि के आधार पर सफलतापूर्वक खण्डित किया गया है। फलस्वरूप वादी विधिसम्मत देनदारी को साबित करने में असफल रहा। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बसालिंगप्पा बनाम मुदीबसप्पा 2019 एससीसी आनलाइन एससी (2019) 5 SCC 418 में उल्लिखित विधि व्यवस्था को प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा खण्डनीय होती है। अभियुक्त उक्त के संबंध में प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। उपधारणा खण्डित होने का स्तर यह होगा कि इस बात की संभावना प्रबल हो जाये कि वादी द्वारा किया गया कथन असत्य है। इस हेतु अभियुक्त वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का भी अपने पक्ष में कर सकता है। यही मत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुमार एक्सपोर्ट बनाम शर्मा कारपेटस (2009) 2 एससीसी 513 में प्रतिपादित किया गया है।

उपर्युक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि जैसे ही अभियुक्त विश्वसनीय प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है तो वादी पर यह भार स्थानांतरित हो जाता है कि वह विधिसम्मत देनदारी के अस्तित्व को ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के द्वारा सिद्ध करें। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त का विशिष्ट प्रतिरक्षा यह है कि विवादित चेक किसी विधिसम्मत देनदारी के निर्वहन हेतु जारी नही किया गया, बल्कि वादी द्वारा धन लेने के आरोप के आधार पर मारपीट के माध्यम से प्राप्त किया गया। इस तथ्य की पुष्टि महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य से होती है।

अभियुक्त द्वारा संबंधित घटना के संबंध में एफ.आई.आर. चेक के बैंक में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही दर्ज कराई गई थी। यह परिस्थिति वादी के कथन को गंभीर बना देती है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के अनुसार प्रस्तुत वाद के समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वादी का कथन न केवल अप्रमाणित है, बल्कि आंतरिक रूप से विरोधाभासी भी है। वादी द्वारा रू० 67,00,000/– दिये जाने के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी अथवा स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया, न तो कथित देनदारी का स्रोत स्पष्ट किया गया और न ही उसका कोई लेखा–जोखा न्यायालय के समक्ष रखा गया। वादी के कथनों से ही यह सिद्ध होता है कि चेक किसी विधिसम्मत देनदारी के निर्वहन हेतु जारी नहीं किया गया। इस प्रकार धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का मूल तत्व–विधिसम्मत देनदारी प्रस्तुत प्रकरण में अनुपस्थित है। दूसरी ओर अभियुक्त ने सुसंगत प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि चेक दबाव, भय एवं मारपीट के माध्यम से प्राप्त किया गया, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि संबंधित घटना के संबंध में एफ०आई०आर० चेक के बैंक में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही दर्ज कराई गयी थी। यह परिस्थिति वादी के कथन को संदिग्ध बनाती है तथा अभियुक्त के प्रतिरक्षा को संभाव्य सिद्ध करती है। यह स्पष्ट है कि वादी धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आवश्यक तत्वों को सिद्ध करने में विफल रहा है, जबकि अभियुक्त ने एक विश्वनीय प्रतिरक्षा स्थापित कर दी है, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

13. मामले में परिवादी बलराम यादव द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि–परिवादी ग्राम तामाखास, थाना खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर का मूल निवासी है। परिवादी के नाम तहसील धनघटा में स्थित बालू के भण्डारण की अनुज्ञप्ति 2017 से है। वर्ष 2017 में ग्राम भिटहां, थाना महुली निवासी संतोष चतुर्वेदी पुत्र रणजीत चतुर्वेदी आये, और कहे कि वह बेरोजगार व्यक्ति है, आय का कोई श्रोत नही है। परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, और उसे काम पर रख लीजिए, आपका काम देखता रहेगा। परिवादी विपक्षी की दयनीय दशा देखकर बालू खदान में संविदा पर विपक्षी को मैनेजर/कैशियर के पद पर 9,000/– रूपये प्रति माह वेतन की दर से काम करने के लिये रख लिया, तथा बालू खरीदने व बेचने का हिसाब रखने का काम सौप दिया। विपक्षी कुछ दिन तक काम ठीक से करता रहा, फिर वह उसके बालू घाट पर बालू को परिवादी की जानकारी के बिना चोरी चोरी बेचने लगा, जिससे परिवादी को काफी नुकसान होने लगा। परिवादी ने विपक्षी से बालू खरीदने व बेचने का हिसाब किया तो विपक्षी लगभग 78,00,000/– रूपये का हिसाब नही दे पाया। परिवादी ने दबाव बनाया तो विपक्षी ने कबूल किया कि यह पैसा उसने अपनी जमीन खरीदने, घर बनवाने, महिन्द्रा एक्स यू०वी० 300 चार पहिया व मोटर साइकिल खरीदने में खर्च कर दिया है। तत्काल मैं पूरा पैसा देने में असमर्थ हैं, परन्तु उसके शाखा सहजनवां बैंक आफ महाराष्ट्रा के खाता सख्या 60188690058 में पैसा है, जिसके लिए वह परिवादी को दिनांक 11.08.2021 को परिवादी के नाम से चेक सख्या 028036, धनराशि मु०– 67,00,000/– रूपये का चेक दिया, और कहा कि उसके खाते से पैसा निकाल लीजिए, शेष धनराशि दो माह के अन्दर दे देगा। परिवादी

ने दिनांक 08.11.2021 को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा खलीलाबाद में चेक प्रस्तुत किया, परन्तु विपक्षी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण व विपक्षी का हस्ताक्षर मैच न होने के कारण विपक्षी द्वारा प्रदान किया गया चेक बाउन्स हो गया। परिवादी ने इस बावत विपक्षी को सूचना दिया, और पैसे की मांग किया, परन्तु विपक्षी आज कल कहकर टालता रहा। परिवादी दिनाक 01.12.2021 को अपना पैसा लेने के लिए विपक्षी के घर ग्राम भिटहां गया, तो विपक्षी परिवादी को गंदी–गंदी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देने लगा, और मार पीट पर उतारू हो गया। शोर सुनकर तमाम लोग मौके पर जुट गये। आशीष चौरसिया व दयानन्द श्रीवास्तव के बीच बचाव करने पर परिवादी की जान बची। विपक्षी ने परिवादी का सारा पैसा छल कपट व बेईमारी से हड़प लिया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 04.12.2021 को विपक्षी को चेक बाउन्स होने के सम्बन्ध में रूपया वसूल करने के सम्बन्ध में कानूनी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया। परिवादी द्वारा स्वयं को पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया, तथा अन्य किसी साक्षी को परिवादी की ओर से परीक्षित नही कराया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिवादी की ओर से सूची, सबूत से निम्नलिखित प्रपत्रो का दाखिल किया गया है–

1. मूल चेक, चेक सख्या 028036, मु०– 67,00,000/– रू० दिनांकित 11.08.2021

2. मूल रिर्टन मेमो दिनांकित 09,11.2021

3. लीगल नोटिस दिनांक 04.12.2021 की प्रति

4. नोटिस प्रेषित करने की मूल रजिस्ट्री रसीद दिनांक 07.12.2021

5. नकल मु०अ०सं० 291/2021 थाना महुली के आरोप की छायाप्रति

<u>प्रश्न सं0–1.</u> क्या अभियुक्त द्वारा चेक सख्या 028036 दिनांकित 11.08.2021 वास्ते मु०– 67,00,000/– (सड़सठ लाख रूपये) परिवादी को किसी विधितः अनुयोज्य ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक भुगतान स्वरूप प्रदान किया गया?

उपरोक्त कथन के समर्थन में परिवादी साक्षी पी०डब्लू० 1 बलराम यादव ने स्वयं को प्रेक्षित कराया है, और अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि वह 2021 से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित है। उसके नाम वर्ष 2017 में बालू खदान का लाइसेन्स मिला था, जो तहसील धनघटा अन्तर्गत भेतहा में था। अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी 2017 में ही उसके पास वेतन पर काम करने के लिए आया। उसने उसकी दयनीय दशा व बातो पर विश्वास करके मैनेजर/ कैशियर के पद पर 9000/–रूपये प्रतिमाह वेतन पर बालू खदान में रख लिया। सारा हिसाब करने की जिम्मेदारी अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी पर थी। अभियुक्त उसका विश्वास जीतकर कुछ दिन बाद चोरी चोरी बालू बेचने लगा। उसकी आमदनी कम हो गयी, तो उसको शक हुआ तो सन् 2021 में बालू का हिसाब किताब किया, रजिस्टर का मिलान किया, तो अभियुक्त लगभग 78,00,000/– रूपये का हिसाब नही दे पाया, और चोरी की बात कबूल की, और अपना पैसा वापस मांगा तो विपक्षी सारा पैसा जमीन खरीदने, घर बनवाने व चार पहिया वाहन खरीदने

में खर्च कर दिया है। विपक्षी उसे ऐसा बताया और यह भी कहा कि पूरा पैसा अभी नही दे पायेगा, वह अपने खाते का चेक दे रहा है। उसके खाते में 67,00,000/– रूपये है, ले लीजिए। शेष पैसा व्यवस्था करके देगा। विपक्षी उसे चेक संख्या 028036 दिनांक 11.08.2021 को दिया था। उसने उक्त चेक को 08.11.2021 को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा खलीलाबाद में प्रस्तुत किया था। परन्तु विपक्षी के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद भी उसने विपक्षी को सूचना दिया था। दिनांक 01.12.2021 को विपक्षी उसे गाली गुप्ता देकर पैसा वापस लौटाने से इंकार कर दिया। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 04.12.2021 को कानूनी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक विपक्षी को प्रेषित किया। पत्रावली में संलग्न मूल चेक संख्या 028036 को वह भलीभांति पहचान रहा है. जिस पर प्रदर्श 1 डाला गया, तथा रिर्टन मेमो को भी पहचानता है, जिस पर प्रदर्श 2 डाला गया, तथा लीगल नोटिस को भी पहचान रहा है। जिस पर प्रदर्श 3 डाला गया। इस प्रकार पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने परिवाद कथानक का समर्थन करते हुये अपनी मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा अपने नियोजन के दौरान करीब अठहत्तर लाख रूपये के बालू को चोरी–चोरी बेचने और हिसाब किताब में पकड़े जाने पर अपने दायित्व के आंशिक भुगतान में सड़सठ लाख रूपये का चेक परिवादी को दिये जाने, तथा शेष रकम दो माह के भीतर अदा करने सम्बन्धी अभियोजन कथानक एवं अभियुक्त का परिवादी के प्रति विधितः अनुयोज्य ऋण अथवा दायित्व को पुष्ट किया है।

<u>प्रश्न सं0–2.</u> क्या परिवादी द्वारा उक्त चेक बैंक में उसके जारी किये जाने की तिथि से तीन माह के अन्दर या उसकी वैधता तिथि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया?

पत्रावली पर उपलब्ध मूल चेक नम्बर 028036 दिनांकित 11.08.2021 एवं मूल बैंक रिर्टन मेमो दिनांक 08.11.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा उक्त चेक को उसकी वैधता सीमा के भीतर/तीन माह के भीतर भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत कर दिया गया था।

<u>प्रश्न सं०–3.</u> क्या उक्त चेक अभियुक्त के खाते में "अपर्याप्त निधि" के कारण अनादृत हो गया?

इस बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी का यह तर्क है कि अभियुक्त द्वारा प्रदान किया गया चेक अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि तथा अभियुक्त का हस्ताक्षर अपठनीय होने के आधार पर अनादृत हुआ है, जो एन०आई० एक्ट की धारा 138 की परिधि में आता है। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि हस्ताक्षर अपठनीय होने मात्र से धारा 138 एन०आई० एक्ट का अपराध आकृष्ट नही होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स लक्ष्मी डाइचेम बनाम स्टेट आफ गुजरात (2012) 13 एस सी सी 375 के मामले में यह अवधारित किया है कि यदि चेक पर हस्ताक्षर भिन्न है, तो भी धारा 138 एक्ट लागू होगा।

<u>प्रश्न सं0–4.</u> क्या परिवादी द्वारा उक्त दोनो चेक के अनावृत होने की सूचना प्राप्ति के 30 दिनो के भीतर चेक की कथित राशि के भुगतान की मांग जरिये नोटिस अभियुक्त से की गयी?

वर्तमान मामले में दाखिल मूल रिटर्न मेमो के अनुसार वर्तमान मामले का चेक दिनांक

09.11.2021 को अनावृत हुआ था, तथा अभियुक्त को प्रेषित लीगल नोटिस दिनांक 04.12.2021, रजिस्ट्री रसीद दिनांक 07.12.2021 के द्वारा अभियुक्त को प्रेषित की गयी थी। अतः परिवादी द्वारा तीस दिवस के भीतर अभियुक्त को चेक के भुगतान की लीगल नोटिस प्रेषित कर दी गयी थी।

प्रश्न सं0–5. क्या उक्त नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अभियुक्त उक्त धनराशि का भुगतान करने में असफल रहा है?

इस निर्धारण बिन्दु के सम्बन्ध में बचाव पक्ष की मुख्य आपत्ति यह है कि परिवादी के द्वारा अभियुक्त को प्रेषित नोटिस में चेक की रकम वर्णित नही है, तथा नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर परिवाद होने से परिवाद प्री मेच्योर है, तथा मेनटेनेबुल नही है।

इसी क्रम में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रवि दिक्षित बनाम स्टेट यू०पी० व अन्य ऐ आई आर आनलाईन 2020 इला0 2088 के मामलें में यह कहा गया है कि पन्द्रह दिनो का समय अभियुक्त को सुविधा हेतु प्रदान किया गया है, परन्तु यदि अभियुक्त द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह पैसा नही देगा, तो यह पन्द्रह दिनो का नियम लागू नही होगा।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेज साक्ष्यो एवं उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं उपरोक्त निर्धारण बिंदुओं पर न्यायालय के निष्कर्ष के आलोक में न्यायालय का यह मत है कि परिवादी अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा धारा 138 एन०आई० एक्ट के सभी प्राविधानों का पालन किया है, तथा केस पूरी तरह साबित किया है। उपरोक्त वर्णित लिखित तर्को के आधार पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील खारिज करने की याचना की गयी।

14. प्रस्तुत अपील को निर्णीत करने हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं पर निर्णयन किया जाना न्यायोचित होगा।

(i). क्या अभियुक्त द्वारा वादी को प्रदत्त चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व से पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्रदान किया गया था?

(ii). क्या विवादित चेक उसे जारी किये जाने की तिथि से तीन माह के अन्दर या वैधता तिथि के भीतर जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया?

(iii). क्या उक्त चेक अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत हो गये?

(iv). क्या परिवादी द्वारा चेक अनादरण की सूचना पाने के तीस दिनो के भीतर चेक की धनराशि के भुगतान की मांग नोटिस द्वारा अभियुक्त से की गयी?

(v). क्या उक्त नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अभियुक्त उक्त धनराशि का भुगतान करने में असफल रहा है तथा क्या परिवाद प्रीमेच्योर है?

15. विचारणीय बिन्दु संख्या (i) के संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमो में कथन

किया गया है कि उसके द्वारा परिवादी को कोई चेक नही दिया गया था, बल्कि परिवादी द्वारा उसकी गाड़ी और चेक लूटे गये थे, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 291/2021 अन्तर्गत धारा 392, 342, 365, 323, 504, 506, 507 आई.पी.सी. पंजीकृत कराया गया है। लूटी गयी गाड़ी में चेक था, जिस पर फर्जी हस्ताक्षर कर राकेश चतुर्वेदी ने अपने लोगों से झूठे मुकदमें उसके विरूद्ध दर्ज कराये गये हैं।

इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद में परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1 बलराम यादव व बचाव पक्ष के साक्षी डी०डब्लू० 1 संतोष चतुर्वेदी व डी०डब्लू० 2 गौरव सिंह के बयानों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एफ.एस.एल. की रिपोर्ट, जो चेक पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर के संबंध में हैं। इसके अतिरिक्त कथित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 291/2021, वाहन के रिलीज संबंधी आदेश, रिलीज आवेदन के साथ प्रस्तुत आपत्ति आदि का अवलोकन व साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष दिया कि अभियुक्त का परिवादी के प्रति सड़सठ लाख रूपये की देनदारी/दायित्व थी, जिसके भुगतान हेतु उसके द्वारा परिवादी को सड़सठ लाख रूपये का चेक अपने हस्ताक्षर कर चोरी किया गया था। विचारण न्यायालय के अनुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अनुसार यह उपधारणा की जाती है कि मामला परिवादी के पक्ष में है, जिसका खण्डन करने में अभियुक्त विफल रहा है। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा चेक संख्या–028036 दिनांकित 11.08.2021, मु० 67,00,000 परिवादी को उसके प्रति विधितः अनुयोज्य दायित्व के भुगतान हेतु प्रदान किया गया था।

विचारण न्यायालय के विरूद्ध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए यह वर्णित किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष, तथ्य एवं साक्ष्य के विधि विरूद्ध है। दौरान बहस अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त के पिता के नाम रजिस्टर्ड वाहन संख्या UP58Z2603 XUV कार तथा अभियुक्त की मोटर साइकिल UP58LY6018 को जबरदस्ती असलहा दिखाकर राकेश चतुर्वेदी आदि अभियुक्त/अपीलार्थी के घर से उठा ले गये। उक्त चार पहिया वाहन में अभियुक्त का बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा सहजनवा जनपद गोरखपुर का चेकबुक था। उक्त चेकबुक को राकेश चतुर्वेदी ने अपने कर्मचारियों तथा मेली मददगारों को देकर, मनमानी धनराशि दर्ज करके तथा फर्जी हस्ताक्षर करके/करवाकर अभियुक्त के विरूद्ध एन.आई. एक्ट का मुकदमा दाखिल करा दिया है। मामले में अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है।

खण्डन में प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय पूर्णतः विधिसम्मत है।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के उपरान्त इस न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत मामले में अपील परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त विधिक प्रावधान में यह वर्णित है कि जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए जारी चेक बैंक द्वारा संदाय किये

बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि अपर्याप्त है। वहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने अपराध किया है।

धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में व्यवस्था है कि जब तक तथ्य प्रतिकूल साबित न हो यह उपधारणा की जायेगी कि चेक के धारक ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व से पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

अपीलार्थी द्वारा परिवाद में एवं अपील के स्तर बचाव में यह कथन किया गया कि परिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा उसकी गाड़ी लूटी गयी, जिसमें चेक था, उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, किन्तु इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य जो विचारण न्यायालय के समझ प्रस्तुत है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 291/2021 में प्रेषित अन्तिम आख्या से यह स्पष्ट होता है कि उक्त मामले में धारा 342, 365, 392, 507 आईपीसी का अपराध घटित होना नही पाया गया तथा अभियुक्त राकेश चतुर्वेदी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 आई.पी.सी. पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में दिया गया तर्क पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित नही होता है कि उसकी गाड़ी व चेक लूटे गये थे।

जहाँ तक अपीलार्थी के इस तर्क का प्रश्न है कि चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, के संबंध में परीक्षण न्यायालय के समक्ष पत्रावली में, जो इस अपील पत्रावली के साथ संलग्न है, में एफ.एस.एल. रिपोर्ट में यह विशेषज्ञ साक्ष्य उपलब्ध है कि मामले में वर्णित चेक पर हस्ताक्षर संतोष चतुर्वेदी अभियुक्त के ही है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह साबित होता है कि परिवाद में वर्णित चेक पर हस्ताक्षर अभियुक्त/अपीलार्थी संतोष चतुर्वेदी के ही हैं।

जहाँ तक अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित चेक किसी ऋण या अन्य किसी दायित्व हेतु जारी नही किये गये थे तथा ऋण व दायित्व होने संबंधी तथ्य को परिवादी को विशिष्ट रूप से साबित नही किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार दिनांक 12.12.2025 को प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध एन.आई. एक्ट के कुल 5 मामलों में अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किये गये हैं। पांचो मामलों में एक ही सीरीज के व एक ही बैंक के चेक हैं। मामले में प्रार्थी के हस्ताक्षर मेल न खाने, सभी मामलों में बालू से संबंधी विवाद होने का कथन किया जाना, स्वयं में ही मामले को संदेहास्पद बना देता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क भी है कि लूट संबंधी मामले का पूर्ण निस्तारण नही हुआ है क्योंकि मात्र अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने से मामला समाप्त नही होता है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम विशेष प्रकार के आपराधिक मामलों के निस्तारण हेतु अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की चेक जारी किये जाने व उसके अनादरण की दशा में उपधारणा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

विशिष्ट विधिक प्रावधान होने का विधिक आशय यही है कि मात्र भिन्न कथन किये जाने या संदेह के आधार पर उपधारणा को खण्डित नही माना जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की अनेक विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि उपधारणा अन्तर्गत धारा 139 खण्डनीय है किन्तु उसके खण्डन हेतु अभियुक्त को विश्वनीय साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है।

मूल पत्रावली जो अपील की पत्रावली के साथ संलग्न है पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मामले के परिवादी पी०डब्लू० 1 साक्षी बलराम यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह 2021 से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित है। उसके नाम से वर्ष 2017 में बालू खदान का लाइसेंस मिला था। अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी वर्ष 2017 में उसके पास वेतन पर काम करने के लिए आया था। उसने उसकी दयनीय दशा व बातों पर विश्वास करके मैनेजर/कैशियर के पद पर नौ हजार रूपये प्रतिमाह वेतन पर बालू खदान पर रख लिया। सारे हिसाब करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर थी। कुछ दिन बाद अभियुक्त/अपीलार्थी चोरी–चोरी बालू बेचने लगा। उसे शक हुआ तो 2021 में बालू का हिसाब किया, रजिस्टर का मिलान किया तो लगभग 78 लाख रूपये का हिसाब अभियुक्त नही दे पाया। अभियुक्त के उक्त पैसा मांगने पर मुझे चेक संख्या–028036 बैंक आफ महाराष्ट्र का दिया, जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउन्स हो गया। नोटिस देने पर भी संतोष चतुर्वेदी ने चेक की धनराशि का भुगतान नही किया, तब यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मूल चेक, चेक संख्या 028036, मु0– 67,00,000/– रू० दिनांकित 11.08.2021, मूल रिर्टन मेमो दिनांकित 09.11.2021 की प्रति, लीगल नोटिस दिनांक 04.12.2021 की प्रति, मूल रजिस्ट्री रसीद, नकल मु०अ०सं० 291/2021 के आरोप की छायाप्रति, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर की आख्या एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है।

खण्डन में साक्षी डी०डब्लू० 1 संतोष चतुर्वेदी द्वारा अपने सशपथ बयान में परिवाद में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि उसे गाली देते हुए व धमकाकर उसके पिता के नाम की कार यू०पी० 58 जेड 2603 एक्स.यू.वी. और उसके नाम की मोटरसाइकिल अपाची नं० यू०पी० 58 LY6018 को जबरदस्ती घर से उठा ले गये। गाड़ी में उसकी चेकबुक भी थी, जिस पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक में प्रस्तुत किया गया, किन्तु उसके द्वारा प्रार्थना पत्र देकर चेक पेमेन्ट पर रोक लगवा दिया गया था। साक्षी डी०डब्लू० 2 गौरव सिंह, जो बैंक आफ महाराष्ट्र के ब्रांच मैनेजर है, ने अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी के चेक अनादृत होने के संबंध में सशपथ बयान दिया है कि इस साक्षी के अनुसार मेमो में हस्ताक्षर illegible होने का तथ्य अंकित है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की ओर से कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है किन्तु पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर कि नमूना हस्ताक्षर की परीक्षण परिणाम की आख्या संलग्न है, जिसमें विवादित हस्ताक्षर/हस्तलेख मे समानता होने के लक्षण वर्णित है।

इस प्रकार पत्रावली पर जो अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर

यह तथ्य साबित नही होते कि परिवादी द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी की गाड़ी व चेक लूटे गये। यह भी साबित नही होता कि चेक पर परिवादी द्वारा हस्ताक्षर बनाये गये हैं वरन यह साबित होता है कि चेक पर हस्ताक्षर अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी द्वारा ही बनाये गये थे।

धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार जब तथ्य प्रतिकूल साबित न हो यह उपधारणा की जायेगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार जब तक कि प्रतिकूल साबित नही कर दिया जाता, यह उपधारणा की जायेगी कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गयी है।

इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधान परिवादी के पक्ष में व चेक की विधि मान्यता व सप्रतिफल जारी होने की उपधारणा के संबंध में विशिष्ट व्यवस्था करते हैं। इस उपधारणा को खण्डित करने के संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई विश्वनीय अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। वरन विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह वर्णित किया गया है कि समस्त चेक लूट में गाड़ी से निकाले गये, हस्ताक्षर का बैंक में न मिलना, एक ही सीरीज के पांच चेक लूट की घटना के बाद प्रस्तुत होना, अभियुक्त का परिवादी के यहाँ नौकरी करना, स्वयं में संदेह उत्पन्न करते हैं। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि जहाँ विशिष्ट प्रावधान, विशिष्ट प्रकृति के मामलो में उपधारणा गठित करते हैं वहाँ मात्र परिस्थितियों एवं पारस्परिक संबंधों का मौखिक वर्णन कर देने मात्र से उपधारणा खण्डित नही होगी। अपितु उसके लिए विश्वनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत मामले में यह तथ्य साबित है कि विवादित चेक, किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु प्राप्त किया गया था। अतः विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नही होती है।

16. विचारण बिन्दु संख्या–(ii) क्या विवादित चेक उसे जारी किये जाने की तिथि से तीन माह के अन्दर या वैधता तिथि के भीतर जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया? इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त चेक को उसकी वैधता समय सीमा के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध नही बनता है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल चेक व मूल बैंक रिटर्न मेमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा उक्त चेक को उसकी वैधता सीमा के भीतर/तीन माह के भीतर भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त के इस कथन पर न्यायालय का यह मत है कि प्रस्तुत मामले में चेक का अनादरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की परिधि में आता है तथा इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत है।

17. विचारण बिन्दु संख्या (iii) क्या चेक अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत हो गया? इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत नही हुआ है। अपितु हस्ताक्षर में भिन्नता होने के कारण अनादृत हुआ है। ऐसी स्थिति में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध नही बनता है। साथ

ही यह भी स्पष्ट होता है कि चेक लूटे गये हैं और फर्जी हस्ताक्षर बनाये गयें है। जबकि प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त का हस्ताक्षर अपठनीय/illegible होने के आधार पर अनादृत होने का भी मामला 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के परिधि में आयेगा। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा मेसर्स लक्ष्मी डाइचेम बनाम स्टेट आफ गुजरात (2012) 13 SCC 375 के मामले में यह अवधारित किया कि यदि चेक पर हस्ताक्षर भिन्न है तो भी मामला धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की परिधि में आयेगा। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था के आधार पर तथा पेमेन्ट स्टाप के कारण चेक के अनादरण को अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम साबित माना है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि स्वयं अभियुक्त संतोष चतुर्वेदी द्वारा अपने डी०डब्लू० 1 के रूप में अंकित सशपथ बयान में यह कथन किया है कि उसने बैंक को चेक भुगतान रोकने हेतु अनुरोध किया था। इस प्रकार अभियुक्त के इस कथन एवं उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था के अवलोकनोपरान्त इस न्यायालय का यह मत है कि प्रस्तुत मामले में चेक का अनादरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की परिधि में आता है तथा इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत है।

18. विचारण बिन्दु सं०(iv) क्या परिवादी द्वारा चेक अनादरण की सूचना पाने के तीस दिनो के भीतर चेक की धनराशि के भुगतान की मांग नोटिस द्वारा अभियुक्त से की गयी? इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे कोई लीगल नोटिस प्राप्त नही हुई और न ही उस पर प्रेषित नोटिस तामील हुई है। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि चेक दिनांक 09.11.2021 को अनादृत हुआ एवं अभियुक्त/अपीलार्थी को लीगल नोटिस 04.12.2021 को प्रेषित की गयी। परिवादी द्वारा तीस दिवस के अन्दर चेक के भुगतान हेतु लीगल नोटिस प्रेषित की गयी है। इस प्रकार न्यायालय का यह मत है कि प्रस्तुत मामले में चेक का अनादरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की परिधि में आता है तथा इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत है।

19. विचारण बिन्दु सं० (v) क्या उक्त नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अभियुक्त उक्त धनराशि का भुगतान करने में असफल रहा है तथा क्या परिवाद प्रीमेच्योर है? प्रस्तुत मामले में चेक अनादरण की नोटिस अभियुक्त/अपीलार्थी को दिनांक 07.12.2021 को प्रेषित की गयी है तथा परिवादी द्वारा दिनांक 22.12.2021 को परिवाद दाखिल किया गया था, जो नोटिस भेजे जाने की तिथि से सोलहवें दिन परिवाद दाखिल किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार नोटिस तामील होने की कोई तिथि नही है तथा परिवाद प्रीमेच्योर है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एम.डी. थामस बनाम पी.एस. जलील व अन्य एस.एल.पी. (क्रिमि०) नं० 7828 वर्ष 2007 निर्णित 13.04.2009 सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत की, जिसमे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के संबंध में नोटिस की बिन्दु पर यह अवधारित किया कि यदि परिवादी द्वारा अभियुक्त पर नोटिस तामील नही की गयी है तो मामले में दोषसिद्धि नही की जा सकती है।

खण्डन में प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रवि दीक्षित बनाम उ०प्र० राज्य ए.आई.आर. आनलाइन 2020 इला. 2088 में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में नोटिस की बिन्दु पर यह मत व्यक्त किया गया कि 15 दिनों का समय अभियुक्त को सुविधा हेतु प्रदान किया गया है परन्तु यदि अभियुक्त द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह पैसा नही देगा तो यह पन्द्रह दिनों का नियम लागू नही होगा। प्रस्तुत मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त हुई तथा उसने जवाब दिया। इस बिन्दु पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह वर्णित किया गया कि यह बिन्दु बहस के स्तर पर उठाया गया तथा यह वर्णित है कि स्वीकृत रूप से अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया तथा नोटिस का जवाब दिया गया। चेक भुगतान की मौखिक सूचना का अभियुक्त द्वारा खण्डन नही किया गया तथा स्वयं चेक के पेमेन्ट को स्टाप कराया गया, जिसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय को नोटिस में कोई तात्विक त्रुटि नही दिखी। विद्वान न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले सी.सी. अल्वी हाजी बनाम पलापेट्टी मुहम्मद व अन्य AIR 2007 SCW 3578 एवं उक्त मामले को उद्धृत करते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित मामला किशोर शंकर सिगनापुरकर बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य 2024 SCC आनलाइन इलाहाबाद 5279 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मामला रवि दीक्षित बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य AIR आनलाइन 2020 इलाहाबाद को वर्णित करते हुए जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस की बिन्दु पर यह अवधारित किया कि धारा 138 के प्रावधान का इस रूप में विश्लेषण नही किया जाना चाहिए कि यदि अभियुक्त द्वारा चेक की धनराशि का भुगतान करने से इंकार किया जाता है तो भी परिवादी परिवाद प्रस्तुत नही कर सकता है। माननीय न्यायालय के अनुसार नोटिस का प्रावधान मात्र अभियोजन कार्यवाही को विलम्बित करता है, किन्तु अपराध चेक अनादृत होते ही पूर्ण हो जाता है।

20. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आधार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त को डिमान्ड नोटिस उसके सही पते पर भेजे जाने से पन्द्रह दिन व्यतीत होते ही धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध हेतु वाद उत्पन्न हो जाता है। अभियुक्त हाजिर होने के पन्द्रह दिन के भीतर यदि चाहे तो चेक की रकम को अदा कर अभियोजन से मुक्ति पा सकता है। अन्ततः विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रेषित नोटिस में कोई त्रुटि न पाते हुए परिवाद को प्रीमेच्योर नही पाया। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं का सम्यक परिशीलन किया गया, जिसके उपरान्त इस न्यायालय का यह मत है कि उपरोक्त वर्णित विधिक व्यवस्थायों के आलोक में दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत है तथा अभियुक्त/अपीलार्थी नोटिस प्राप्त के 15 दिन के अन्दर चेक में अंकित धनराशि का भुगतान करने में असफल रहा तथा परिवाद प्रीमेच्योर नही है।

उपरोक्त तथ्य एवं साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर मैं इस मत का हूं कि प्रश्नगत आदेश विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक विश्लेषण करने के उपरान्त विधिसम्मत ढंग से पारित किया गया

है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक या विधिक त्रुटि कारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। तद्नुसार परिवाद संख्या–16836/2021, बलराम यादव बनाम संतोष चतुर्वेदी में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 12.12.2025 की पुष्टि करते हुए दाण्डिक अपील बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार परिवाद संख्या–16836/2021, बलराम यादव बनाम संतोष चतुर्वेदी में विद्वान सिविल जज (सी०डि०)एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०, संत कबीर नगर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 12.12.2025 की पुष्टि करते हुए दाण्डिक अपील सं०–04/2026 **खारिज** की जाती है। अभियुक्त/अपीलार्थी संतोष चतुर्वेदी न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त का निजी बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त कर जमानतियों को जमानत के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली मय इस निर्णय की सत्यप्रति संलग्न कर, न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त के साथ, विचारण न्यायालय में प्रेषित की जाये। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त का नियमानुसार सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भोगने हेतु जिला कारागार, संत कबीर नगर प्रेषित किया जाये।

इस अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–18.07.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O. Code–UP05761]
जनपद न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

उक्त निर्णय/आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–18.07.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O. Code–UP05761]
जनपद न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by RANDHEER SINGH
Date: 2026.07.18 17:30:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court